न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

तारीख दायरा :28.06.2023

मि0नं0 08 / अपील / 23

उनवान अपील

01. लखन गुर्जर पुत्र स्व0 कोशल्याबाई (पिता जगन्नाथ) (पत्नी रामलाल) जाति गुर्जर निवासी चन्दलोई हाल निवासी जैंथली पोस्ट भगौरा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

02. गायत्रीबाई पुत्री स्व0 कोशल्याबाई (पिता जगन्नाथ) पत्नी इन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी चन्दलोई हाल निवासी जैंथली पोस्ट भगौरा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

अपीलार्थीगण

बनाम

01. सावित्रीबाई पत्नी स्व0 रामबाबू गुर्जर

02. आलिया उम्र एक साल नाबा0 जाति गुर्जर

03. दीपिका नाबा0 जाति गुर्जर बाबिलायत माता सावित्रीबाई पत्नी स्व0 रामबाबू गुर्जर निवासी चन्दलोई हाल निवासी गुढ़ा तहसील असनावर जिला झालावाड़

04. केदारबाई पत्नी फूलचंद जाति गुर्जर निवासी चन्दलोई हाल निवासी गुढ़ा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

05. उमरावबाई पुत्री फूलचंद पत्नी इंद्रसिंह जाति गुर्जर निवासी नयागांव तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ म0प्र

06. शारदाबाई पुत्री फूलचंद पत्नी सुजानसिंह जाति गुर्जर निवासी सेमली श्योपुर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

07. सतवीर पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी नयागांव बृजपुरा तहसील बकानी जिला झालावाड़ राज0

08. रामराज नाबा पुत्र पानबाई पति अनोखसिंह

09. सपना नाबा0 पुत्री पानबाई पति अनोखसिंह जाति गुर्जर निवासी जैंथली पोस्ट भगौरा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

10. सोना 18 साल पुत्री पानबाई पति अनोखसिंह जाति गुर्जर निवासी जैंथली पोस्ट भगौरा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

11. भूराबाई पुत्री पत्नी रायसिंह जाति गुर्जर निवासी पुरा तहसील असनावर

12. भूराबाई पत्नी रायसिंह पुत्रवधु जगन्नाथ वर्तमान पति कालूसिंह जाति गुर्जर निवासी चन्दलोई तहसील झालरापाटन हाल निवासी सनखेड़ी तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ मप्र

जिला कलक्टर
झालावाड़

13. सुगनाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी रामसिंह जाति गुर्जर निवासी चन्दलोई हाल सेमली श्योपुर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

14. व्यवस्थापक एडीएफसी बैंक झालावाड़

15. व्यवस्थापक आईडीबीआई बैंक झालावाड

16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन जिला झालावाड़

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत रद्द करने नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 29.09.2004 द्वारा तहसीलदार तहसील झालरापाटन

उपस्थितः श्री राजेश कुमार सुथार, अभिभाषक अपीलान्ट्स

–: निर्णय :– दिनांकः 20.02.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चंदलोई तहसील झालरापाटन के खातेदार जगन्नाथ पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी चंदलोई की मृत्यु के बाद फोती इंतकाल संख्या 135 दिनांक 29.09.2004 को मृतक जगन्नाथ के बजाय पुत्र फूलसिंह, रामसिंह व पुत्रियां सज्जनबाई, सगनबाई, भूराबाई, पानबाई के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज करने की स्वीकृति दी जाने के आशय से प्रमाणित किया जाना प्रकट होता है जो विधी एवं नियमों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया ,रेस्पो0 बावजूद सम्मन रजिस्टर्ड ए0डी0 तलब किये जाने पर भी बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए है उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली एकतरफा बहस वकील अपीलार्थी में रखी गई।

पत्रावली में वकील अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलर्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए यह स्पष्ट किया कि ग्राम चंदलोई तहसील झालरापाटन के खातेदार जगन्नाथ पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी चंदलोई की मृत्यु के बाद फोती इंतकाल संख्या 135 दिनांक 29.09.2004 को मृतक जगन्नाथ के बजाय पुत्र फूलसिंह, रामसिंह व पुत्रियां सज्जनबाई, सगनबाई, भूराबाई, पानबाई के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज करने की स्वीकृति दी एवं पुत्री कोशल्याबाई के विधिक वारिसान को शामिल नहीं कर कानूनी भूल की है जो विधी एवं नियमों के विपरित

जिला कलक्टर
झालावाड़

होने से प्रश्नगत इंतकाल 135 दिनांक 29.09.2004 निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न इंतकाल संख्या 135 दिनांक 29.09.2004 का अद्योपान्त अवलोकन किया जाने पर प्रथमदृष्टतया स्पष्ट है कि मृतक जगन्नाथ के वारिसान का सजरा खानदान में क्रम संख्या 04 पर कौशल्याबाई का फौत होना दर्शाया गया है लेकिन कौशल्याबाई के कानूनन वारिसान के संबध में रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है जिसका अंकन तत्कालीन भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा अंकन किया हुआ है, तथा प्रश्नगत इंतकाल में फोती इंतकाल को बाद जांच तस्दीक किये जाने की सिफारिश नहीं की है क्योंकि उसमें जगन्नाथ की पुत्री कोशल्याबाई (फोत) के वारिसान के नाम अंकित नहीं थे। तहसीलदार द्वारा फोती इंतकाल मृतक कोशल्याबाई के वारिसान को नजरअंदाज करते हुए खोला गया है जो विधि मान्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार तहसील झालरापाटन द्वारा तस्दीक इंतकाल संख्या 135 दिनांक 29.09.2004 निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलार्थी इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि मृतक कोशल्याबाई के विधिक वारिसान की जांच व सुनवाई पश्चात नये सिरे से इंतकाल खोला जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील झालरापाटन को पालनार्थ भिजवाये जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/02/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

21/2

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड़